

2 1506 | 2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



3435 22 FEB 2018 7843

(1)

लीज डीड

दोनों कानों छापित
इन्डिजेलसिड
27.2.18

योगेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र श्री छेदी लाल निवासी-बी-157, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, मो0 नं0-9415216164 आधार संख्या-534265690921

प्रथम पक्ष

ऐकसेस इन्टरनेशनल स्कूल यथार्थ सामाजिक कल्याण एवं सेवा संस्थान द्वारा सचिव योगेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र छेदी लाल बी-157, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, मो0 नं0-9415216164 आधार संख्या-534265690921

द्वितीय पक्ष

Yogendra

Yogendra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

784358 22 FEB 2018 784358
इलाहाबाद

(2)

विदित है कि प्रथम पक्ष अपनी सम्पत्ति सं० 560 से 7000 वर्ग मी० एवं सम्पत्ति सं० 561 से 1200 वर्ग मी० कुल 8200 वर्ग मी० (2 एकड़) स्थित मौजा मलाक बलऊ परगना नवाबगंज तहसील सोरांव इलाहाबाद, जिसमें भवन निर्माणाधीन है एवं कई बड़े हॉल, आर०सी०सी०, बाथरूम व सीढ़ी आदि बने हुए हैं के मालिक व काबिज दाखिल हैं।

Yogendra



Yogendra



SECRETARY

कलेक्ट्रेट कोषागार - इलाहाबाद पट्टा अनुबंध विलेख

प्रतिफल- 25000 स्टाम्प शुल्क - 72000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिब्लिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

दिनांक 26-2-18 नाम पता 21 गीत इमारत राजिब मथाल सोन कल्याण एव सोन रिपान

श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य,

पुत्र श्री छेदी लाल

व्यवसाय : वकालत

निवासी: बी०157 मेहंदौरी कालोनी तेलियरगंज इलाहाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/02/2018 एवं 04:37:25

PM बजे


निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार मौर्य प्रभारी

उप निबंधक सोरॉव

इलाहाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



784360

(3)

प्रथम पक्ष अपनी उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को जो कि एक सामाजिक ट्रस्ट है को शिक्षण संस्थान चलाने एवं शिक्षा से सम्बन्धित प्रचार प्रसार का कार्य करेगी को रू0 25000/- किराये पर 30 वर्षों के लिए लीज पर देने को तैयार हैं, इसलिए उभय पक्ष ने यह उचित समझा व तय पाया कि अपने-अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अभिलेख बतौर लीज लिख जावें। इसलिए उभय पक्ष ने प्रस्तुत लीज डीड बिना किसी जोर दबाव व नाजायज के लिखना कबूल व मंजूर करके यह लीज डीड वास्ते 30 वर्ष के लिए लिखकर अपने-अपने को व अपने आने वाले उत्तराधिकारियों को भी निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द करते व होते हैं:-

Yogendra



Yogendra



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मंजूर व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

दिनांक 26- अक्टूबर/कोर्ट फीस रुपा- 10000


नाम पता श्री योगेन्द्र कुमार, पुत्र श्री छेदी लाल

निवासी: बी 157 मेहंदौरी कालोनी तेलियरगंज

इलाहाबाद

व्यवसाय: वकालत

पट्टा गृहीता: 1



श्री ऐकसेस इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा यथार्थ

सामाजिक कल्याण एवं सेवा संस्थान के द्वारा सचिव

योगेन्द्र कुमार, पुत्र श्री छेदी लाल

निवासी: बी 157 मेहंदौरी कालोनी तेलियरगंज

इलाहाबाद

व्यवसाय: वकालत



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री उदय सिंह, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र

निवासी: टिकरी नवाबगंज सोरांव इलाहाबाद

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2



श्री इन्द्रजीत सिंह एडवोकेट, पुत्र श्री पारसनाथ सिंह

निवासी: उठगी नवाबगंज सोरांव इलाहाबाद

व्यवसाय: वकालत



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार मौर्य प्रभारी

उप निबंधक : सोरांव

इलाहाबाद






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

781361 22 FEB 2018 84361

(4)

1. यह कि प्रथम पक्ष को प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर लेसर यानी पट्टादाता व द्वितीय पक्ष प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर लेजी यानी पट्टेदार कहलायेगा।
2. यह कि प्रस्तुत लीजडीड (पट्टा) पक्षगण के बीच लीज 30 वर्ष के लिए लिखा जा रहा है जो दिनांक-27.02.2018 से प्रारम्भ होकर दिनांक-26.02.2048 तक रहेगा।

Yogen D



Yogen D



SECRETARY



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

784868 22 FEB 2018 78433
इलाहाबाद W

(5)

3. यह कि प्रस्तुत लीज डीड द्वारा दी जाने वाली सम्पत्ति मुबलिग रू0 25000/- (रूपये पचीस हजार) प्रति माह के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी गयी है। यह रकम प्रति माह द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को हर महीने के प्रथम सप्ताह में अदा करता रहेगा।

Yogendra



Yogendra



SECRETARY

Access International School
Yatharth Samajik Kalvanawam Sew



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

4. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाले मकान में अपने खर्च से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगवायेगें एवं इलेक्ट्रिक खर्च जो आवेगा उसे हमेशा द्वितीयपक्ष द्वारा जमा करना होगा। प्रथमपक्ष का इलेक्ट्रिक खर्च से कोई मतलब खाह वास्ता सरोकार न होगा तथा इलेक्ट्रिक बिल के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सारी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

Yogendra



Yogendra



SECRETARY



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

78



784359

(7)

5. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा की अवधि के अन्दर अपने ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लीजशुदा सम्पत्ति में आवश्यकतानुसार ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण, फर्नीचर, बिजली, पानी की व्यवस्था व अन्य जो भी आवश्यक हो द्वितीयपक्ष अपने पैसे से करा सकता है।
6. यह कि लीजशुदा सम्पत्ति जैल बिलकुल पाक साफ है, उस पर किसी प्रकार का कोई देय वारदेन अथवा अधिकार प्रथम पक्ष के अलावा किसी का भी नहीं है। अतः भविष्य में यदि इसके विपरीत तथ्य प्रकट एवं सिद्ध होंगे तो इसके निस्तारण की समस्त जिमेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

Yogen V.




Yogen V.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)



7. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा की अवधि के अन्दर किराये वाली सम्पत्ति में बिना अनुमति प्रथम पक्ष कोई तोड़फोड़, रद्दोबदल, परिवर्तन परिवर्धन नहीं करेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाली भाग में अपने खर्च से सलाना सफाई व रंगाई व मरम्मत करता रहेगा और उक्त भाग को हमेशा मेंटेन रखेगा।
9. यह कि प्रस्तुत दस्तावेज लीज डीड के कुल मजमून को पढ़ व पढ़वाकर व गवाहान से पढ़वाकर उसके होने वाले प्रत्येक प्रभावों से अवगत होकर स्वस्थ चित्त एवं प्रसन्न मन से बिना किसी अनुचित दबाव के स्वतन्त्र मप्तिस्क से कर दिया गया है।

Yogendra




SECRETARY

Yogendra



Access International School
Yatharth Samajik Kalyanawam Seva



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 FEB 2018 AA 358234

इलाहाबाद

(9)

चौहद्दी

- पूरब - सम्पर्क मार्ग लखनऊ रोड से मलाक बलऊ गाँव तक
पश्चिम - खेत नूपुर गुप्ता
उत्तर - खेत पटेल जी
दक्षिण - जुज भाग प्रथम पक्ष

यह कि उपरोक्त पट्टाशुद जायदाद का वार्षिक किराया मुबलिंग 300000/- रूपया है, जिसका छः गुना मुबलिंग 1,80,000 0/-रूपया होता है, पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से मुबलिंग 72000/- रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।


Yogendra



SECRETARY

Yogendra





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

1 5 FEB 2018

AA 358233

स्टाम्प नियमानुसार अदा है

साक्षीगण:-

1. पूरा नाम

उदय सिंह

पिता का नाम

श्री हरिश्चन्द्र यादव

पूरा पता

ग्राम टिकरी भाधार नं. 4248/11273851

2. पूरा नाम

मो. नं. 9651223672
इन्दुजित सिंह एडवोकेट

पिता का नाम


श्री पारसनाथ सिंह

पूरा पता

ग्राम डहनी शिम नं. 4152/85



Yogendra




SECRETARY

Yogendra



Access International School
Yatharth Samajik Kalyanawam Sewa, Se
Allahabad.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)



स्टाम्प नियमानुसार अदा है

प्रथम पक्ष Yogendra

द्वितीय पक्ष Yogendra

SECRETARY

Access International School
Yatharth Samajik Kalyan awam Sewa Sansthan
Allahabad.

गवाह-1 उदय सिंह

गवाह-2 इन्द्रजीतसिंह एस्कोटेर

मसविदाकर्ता:- इन्द्रजीतसिंह एस्कोटेर

टाइपकर्ता:- अमरचंद्र

तहरीर तारीख- 27.02.2018